



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244628
CG-DL-E-23032023-244628

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1343]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945

No. 1343]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

का.आ. 1396(अ).—केन्द्रीय सरकार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 116 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची में,-

(i) क्रम सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“22. राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, आनंद, गुजरात।

23. भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली।

24. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, नई दिल्ली।”;

(ii) क्रम संख्या 7, क्रम संख्या 11, क्रम संख्या 13, क्रम संख्या 14 और क्रम संख्या 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एल-11012/01/2023- एल एंड एम]

विजय कुमार, केन्द्रीय पंजीयक, सहकारी समितियाँ एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2023

S.O. 1396(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) section 116 of the Multi -State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002), the Central Government hereby makes the following amendments in the Second Schedule of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002).

In Second Schedule to the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002,-

- (i) after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be inserted, namely:-
- “ 22. National Cooperative Organics Limited, Anand, Gujarat.
23. Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited, New Delhi.
24. National Cooperative Exports Limited, New Delhi.”;
- (ii) the serial numbers 7, 11, 13, 14 and 20 and the entries relating thereto, shall be omitted.

[F. No. L-11012/01/2023- L&M]

VIJAY KUMAR, Central Registrar of Cooperative Societies and Addl. Secy.